राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की सोसायटी)

जलविज्ञान भवन, रूड़की –247667, उत्तराखंड

सं.- 5(XIII)/2023-24/NIH/Pur-23 दिनांक: 26/12/2023

संस्थान की कैंटीन को चलाने हेतु निविदा संबंधी सूचना

संस्थान की कैंटीन को एक वर्ष ठेके पर चलाने के लिए प्रतिष्ठित ठेकेदारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है I कैंटीन में चाय, समोसा, ब्रेड पकोड़ा, मट्ठी, कटलेट, गुलाब जामुन, लड्डू (बेसन मलाई) कोल्ड ड्रिंक्स, दोपहर का खाना, आदि बनाने/बेचने का प्रावधान प्रस्तावित है I उक्त संस्थान में कर्मचारियों की संख्या लगभग 300 है I

निविदा संबंधी प्रपत्र जिसमें निविदा संबंधी नियम व शर्ते दी हुई हैं, क्रय अधिकारी, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, रूड़की के कार्यालय से मूल रु० 500+90 (जीएसटी)=कुल रु० 590/- के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जो कि राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूडकी के नाम देय हो, निविदा प्रकाशन के 21 दिनों के अन्दर प्राप्त किया जा सकता है I वेबसाइट nihroorkee.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करके रू. 590/- के डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक के साथ भेजा जा सकता है I

1. निविदा के साथ बयाना (Earnest Money Deposit) राशि के विरुध बिड़ सिक्योरिटी डिक्लेरेशन्स फॉर्म को भरकर संलग्न भेजना आवश्यक है |
2. निविदा की अंतिम तिथि निविदा प्रपत्र पर दी हुई है एवं उसके खुलने के समय इच्छित ठेकेदार/प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं I
3. कोटेशन वाले लिफाफे के ऊपरी हिस्से पर "कैंटीन की निविदा" लिखा होना चाहिए एवं क्रय अधिकारी, रा.ज.सं. को प्रेषित होना चाहिए I
4. निदेशक, राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान को यह अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये उक्त निविदा को निरस्त अथवा स्वीकृत कर सकते हैं I

क्रय अधिकारी

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की सोसायटी)

जलविज्ञान भवन, रूड़की –247667, उत्तराखंड

सं.- 5(XIII)/2023-24/NIH/Pur-23 दिनांक: 26/12/2023

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान की कैंटीन को एक वर्ष की अवधि के लिए ठेके पर देने हेतु ऐसे व्यक्तियों से सील बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं जो कैंटीन चलाने आदि का पर्याप्त अनुभव रखते हों। इस संस्थान में लगभग 300 कर्मचारी कार्यरत हैं।

पंखा, लाइट तथा पानी की सुविधा कैंटीन में संस्थान द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध है। कैन्टीन में उपलब्ध फर्नीचर आदि सामान तथा एक कुकिंग गैस बर्नर भी उपयोग किये जाने हेतु बिना शुल्क के उपलब्ध कराये गये हैं। कैंटीन में उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न निर्धारित सामग्रियॉ निम्नलिखित होंगी। इच्छुक व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे मदवार अपनी दरें अंकित करें तथा मुहर बन्द निविदाएं 15 जनवरी 2024 सांय 4.30 बजे तक क्रय अधिकारी, राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान रूड़की को भेजे।

क्रम सं.	खाद्य सामग्री का नाम	मात्रा/ वजन	दर
1.	चाय	120 मिली0	
2.	समोसा	75 ग्राम	
3.	ब्रेड पकोड़ा	75 ग्राम	
4.	मटठी	50 ग्राम	
5.	कटलेट	75 ग्राम	
6.	गुलाब जामुन/काला जामुन	50 ग्राम	
7.	शीतल पेय	उन पर छपी मानक दरें अथवा उससे कम	
8.	बिस्कुट	-तदैव-	
9.	चिप्स	-तदैव-	
10.	दोपहर का लंच	(4 रोटी, 100 ग्राम चावल अच्छी किस्म का, 150 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी)	

यदि इच्छुक व्यक्ति कैंटीन में अन्य कोई सामग्री कैंटीन समिति से सलाह करके उपलब्ध कराना चाहे तो उसकी दर भी अंकित कर सकते हैं।

जलपान गृह के संचालन हेतु निर्धारित शर्तें

1. यह ठेका एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।
2. चयन किये हुए ठेकेदार को प्रतिभूति जमानत के रूप में 5000/- (रूपये पॉच हजार मात्र) की राशि राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान के वित्त अनुभाग में जमा करनी होगी। संस्थान की कैण्टीन सम्पत्ति को नुकसान अथवा हानि होने की स्थिति में नुकसान अथवा हानि की धनराशि के बराबर वसूली ठेकेदार से की जायेगी और यदि ऐसी परिस्थितयां उत्पन्न हो जाती हैं तो जमा राशि को ठेकेदार को वापिस न करने का संस्थान को पूर्ण अधिकार होगा।
3. यदि ठेकेदार कैंटीन को निर्धारित ठेका अवधि से पूर्व ही संस्थान की सहमति के बिना किसी भी कारण से चलाना बन्द कर देता है तो संस्थान को उसकी जमानत राशि को वापस न करने का पूर्ण अधिकार होगा।
4. ठेके की अवधि का दोनों पक्षों की परस्पर सहमति से और अवधि के लिए नवीनीकरण ठेकेदार द्वारा दी गई संतोषजनक सेवाओं एवं कैंटीन समिति के आंकलन के आधार पर किया जा सकेगा।
5. जलपान गृह प्रात: 09.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक खुला रहेगा। शनिवार एवं रविवार सप्ताहांत अवकाश के रूप में होंगे। सरकारी छुट्टियों के दौरान संस्थान के साथ-साथ कैंटीन भी बन्द रहेगी।
6. विशेष उत्सवों के अवसर पर जलपान गृह शनिवार/रविवार एवं अन्य सामान्य अवकाशों के दिनों में भी खोलनी होगी।
7. जलपान गृह में मात्र अनुमोदित खाद्य सामग्री ही तैयार की जा सकेगी और/बेची जा सकेगी। यदि ठेकेदार दूसरे खाद्य पदार्थ कैंटीन में बनाना चाहे तो वह कैंटीन समिति की अनुमति से ही ऐसा कर सकेगा।
8. आवश्यकता की स्थिति में ठेकेदार को चाय आदि की आपूर्ति कर्मचारियों को उनके कार्यालय/प्रभाग/प्रयोगशाला/प्रकोष्ठ/पुस्तकालय आदि में करनी होगी।
9. ठेकेदार को पर्याप्त संख्या में सहायक/सेवक काम पर रखने होंगे और वह उनका नाम व अन्य विवरण पंजीकृत करेगा तथा उसकी एक प्रति वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायेगा।
10. संस्थान की कैंटीन का लाभ उठाने के लिए बाह्य व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
11. कैंटीन ठेकेदार , कैंटीन की सफाई, कैंटीन फर्नीचर क्राकरी व बर्तनों आदि की समुचित साफ-सफाई के लिए जिम्मेदार होगा तथा कैंटीन में अच्छी प्रकार की क्राकरी रखेगा।
12. ठेकेदार द्वारा कैंटीन में तैयार किये जाने वाली चाय एवं अन्य खाद्य पदार्थों की जॉच / निरीक्षण कैंटीन समिति द्वारा 15 दिन में एक बार की जायेगी। चाय एवं अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में समिति ठेकेदार पर रू. 500/- का जुर्माना लगा सकती है और समिति का निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा। ऐसा न किये जाने की स्थिति में जुर्माना किये जाने की तिथि से एक माह तक के लिए उसे रूपये 5/- प्रतिदिन की दर से फाइन देना होगा। यदि इस पर भी वह उक्त जुर्माने को उस पर लगने वाले फाइन की राशि सहित उपरोक्त 1 माह की अवधि के अन्दर नहीं दे पाता है तो उसको प्रदान किया गया ठेका तत्काल कैंटीन समिति की सिफारिश पर निदेशक राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

13. यदि चाय एवं अन्य खाद्य पदार्थो की अच्छी गुणवत्ता एवं निर्धारित मात्रा/ वजन को बनाये रखना ठेकेदार द्वारा सुनिशित नहीं किया जाता है और यदि खाने की वस्तुओं की गुणवत्ता समिति द्वारा खराब पाई जाती है और ठेकेदार को खाद्य पदार्थ आदि की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार 3 बार अनुस्मारक जारी किये जाने के बावजूद भी समुचित कार्रवाई नहीं की जाती है, तब समिति ठेके को निरस्त किये जाने हेतु संस्तुति कर सकती है।
14. यदि ठेकेदार द्वारा जलपान गृह को किसी भी कार्य दिवस में बंद रखा जाता है तो ठेकेदार पर 100/- का जुर्माना किया जाएगा जिसे ठेकेदार को 7 दिनों के अन्दर जमा करना होगा । ऐसा न किये जाने पर कैंटीन बंद किये जाने की तिथि से एक माह तक के लिए रू0 5/- प्रतिदिन की दर से फाइन देना होगा। यदि इस पर भी उक्त जुर्माने को उस पर लगने वाले फाइन की राशि सहित उपरोक्त एक माह की अवधि के अंदर नहीं दे पाता है तो उसको प्रदान किया गया ठेका तत्काल कैंटीन समिति की सिफारिश पर निदेशक महोदय द्वारा निरस्त किया जा सकता है ।
15. संस्थान अथवा ठेकेदार किसी के द्वारा भी 30 दिन की अवधि की पूर्व-सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकता है । तथापि ठेकेदार को कैंटीन को सामान्य तौर से चलाते रहना होगा ।
16. किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का संस्थान को पूरा अधिकार होगा ।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में पूरा मामला निदेशक राजसं के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा एवं उनका निर्णय अंतिम होगा ।

क्रय अधिकारी